FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्रा० अलवर मुकाम

जितेन्द्र बनाम बीना

किस्म मुकदमा 223 RT Act नं. 21/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिता का अवलोकन किया गया। अपील लोक अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के प्रकरण संख्या 1/35 निर्णय दिनांक 10.7.17 कैम्प कोर्ट अकबरपुर के खिलाफ पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा एक पक्षीय बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अकबरपुर में मिन अपीलान्ट के पीछे से, वादीगण द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये गये बिना किया गया है। इसके साथ यह भी इस्तदुआ की कि अपील अवधि में देरी का कारण यह है कि उनके कब्जे काश्त में जब रेस्पोंडेटस द्वारा रूकावट व मजाहमत पैदा की तब उनके जानकारी में आने पर नकल आवेदन पत्र, नकल 14.6.19 को प्राप्त हुई, जिसमें उनकी किसी प्रकार की बदनियति नही है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में हुई देरी को माफ करने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अलग से प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा रहा है, को स्वीकार करते हुए, एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जरिये रेस्पोंडेण्टस को पाबंद किया जावे कि आगामी पेशी तक रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जावे व उनके हक तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के प्रचलन को रोका जावे। हमने विद्वान अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल अपील मीमो, शपथ पत्र एवं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय पर गौर किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पेश किया गया, बहस की गई व मीमो में जो कारण अंकित किए गए है, प्रथम दृष्टया देरी के पर्याप्त व उचित कारण है अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रथम दृष्टया अपील में बिन्दु संख्या 03 में जो उज्र उठाये गये, बहस की गई उस आधार के परिपेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अंकित पक्षकारों का अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रकट होता है कि वादी ने, अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उनके उनके हक तक परिचालन से रोका जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहाँ लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है–

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जाएंगी।

(2) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील नही होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार करते हुए, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उनके हक तक परिचालन से पाबन्द करते हुए, इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करे। पत्रावली इसी आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो।